-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2024 को वादी श्री सागर पुत्र चतरपाल निवासी ग्राम जौला डिंडोली थाना नागल जिला सहारनपर द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मो0सा0 HR02V-9788 को चोरी कर ले जाने के सम्बनध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 163/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं मो0सा0 की बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध के कुशल नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/24 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित चोरी गयी मोटर साईकिल से सम्बन्धित अभियुक्तगण **समीर पुत्र खुशनसीब निवासी दयानंद स्कूल के पीछे कस्बा व थाना नागल जनपद सहारनपुर व सुहैल उर्फ सोहेल पुत्र रमन्नक अली निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को मय चोरी गयी मो0सा0 हीरो स्पलैण्डर सिल्वर न0 **HR02V-9788** सहित भाटखेडी रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो द्वारा उक्त मोटर साईकिल को चोरी करना स्वीकार किया गया। तथा शख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्तगणो द्वारा पूर्व मे मोटर साईकिल चोरी करने से सम्बन्धित जुर्म को स्वीकार करते हुए 05 अन्य मो0सा0 . मोटर साइकिल स्पलैण्डर+ न0 **UP11AC0247** जिसका चैसिस MBLHA10EJ9HL55049 व इन्जन नम्बर HA10EA9HLA8892 सम्बन्धित मु0अ0सं0 156/24 धारा 379 भादवि 3. स्पलैण्डर प्लस न0 **UK17E2560** जिसका चैसिस MBLHA10CGHHA15628 व इन्जन नम्बर HA10ERHHA17733 सम्बन्धित मु0अ0सं0 146/24 धारा 379 भादवि 4.होण्डा साईन रंग काला बिना नम्बर जिसका चैसिस न0 **ME4JC368E98098697** व इन्जन नम्बर JC36E9404130 सम्बन्धित मु0अ0सं0 119/24 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर 5. स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर जिसका चैसिस न0 **05B16C16522** व इन्जन नम्बर 05B15M16363 6. स्पलैण्डर सिल्वर कलर बिना नम्बर जिसका चैसिस **MBLHA10AMDHE25580** व इन्जन नम्बर HA10EJDHE27701 को अपने घेर से बरामद करायी गयी। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनो कम पढ़े लिखे है तथा नशा करने के आदी है अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए हम दोनो दोस्त मिलकर मोटर साईकिल चोरी कर राह चलते लोगो को सस्ते दामो मे बेचकर मुनाफा कमा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. समीर पुत्र खुशनसीब निवासी दयानंद स्कूल के पीछे कस्बा व थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. सुहैल उर्फ सोहेल पुत्र रमन्नक अली निवासी ग्राम भनेडा खास थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 हीरो स्पलैण्डर सिल्वर न0 **HR02V-9788**
- 01 हीरो स्पलैण्डर प्लस न0 **UP11AC0247**
- 01 हीरो स्पलैण्डर प्लस न0 **UK17E2560**
- 01 होण्डा साईन रंग काला बिना नम्बर जिसका चैसिस न0 **ME4JC368E98098697**
- 01 स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर जिसका चैसिस न0 **05B16C16522**
- 01 स्पलैण्डर सिल्वर कलर बिना नम्बर जिसका चैसिस **MBLHA10AMDHE25580**

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 119/24 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 163/24 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 146/24 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 156/24 धारा 379/411 भादवि थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 महेशचन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. है0का0 509 राहुल शर्मा थाना नांगल जिला सहारनपुर
6. है0का0 880 संजीव कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
7. का0 2043 सद्दाम हुसैन थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 30.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 17.06.2024 को वादी श्री शुभम उर्फ अभिषेक पुत्र सहेन्दर निवासी ग्राम बाबूपुर थाना देवबन्द सहारनपुर द्वारा थाना देवबंद उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1-कार्तिक उर्फ फग्गन पुत्र आजाद 2-बादल साहसी पुत्र मांगेराम निवासीगण ग्राम बाबूपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के को जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायरिंग करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0- 309/2024 धारा 307/506 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उपरोक्त फायरिंग की घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त **कार्तिक उर्फ फग्गन पुत्र आजाद नि0 बाबूपुर थाना देवबंद सहारनपुर** को देवीकुण्ड मंदिर से ग्राम बाबूपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कार्तिक उर्फ फग्गन पुत्र आजाद नि0 बाबूपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अमनपाल सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 विनोद कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।
3. का0 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गये पीली व सफेद धातु के आभूषण, 01 तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.5.2024 को वादी फैज अहमद पुत्र मौ० अनवर निवासी मौ० मुत्रीबान नखासा बाजार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा थाना मण्डी उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर के आधार पर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना मण्ड़ी पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 379 भादवि0 बनाम साबिर उर्फ आमिर पुत्र रहीश उर्फ रईस निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर तथा सद्दाम पुत्र फरीद निवासी कैलासपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया था सद्दाम उपरोक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। बरामदगी के आधार पर धारा 411 भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी थी। **तथा** दिनांक 2.6.2024 को वादी अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार नि0 अब्दुल्ला कालोनी खातखेडी थाना मण्डी स0पुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों द्वारा घर से आभूषण चोरी कर लिए जाने के सम्बन्ध में थाना मण्ड़ी पर मु0अ0सं0 223/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.6.24 समय 22.10 बजे सरकारी स्कूल से खोखो की तरफ जाने वाले रास्ते से अभियुक्त **साबिर उर्फ आमिर पुत्र रहीश उर्फ रईस ,नि0 हालँ पता शफीक का किराये का मकान ,जुल्मगढ थाना मण्डी जिला सहारनपुर व मूल पता नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर** को 01 जोडी पायल (सफेद धातु), 04 अंगूठी (सफेद धातु), 01 जोड़ी कुण्डल (पीली धातु), 01 जोड़ी बाली (पीली धातु) व 01 तमंचा 12 बोर मय जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरामद आभूषण थाना मण्डी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/24 धारा 380 भादवि0 से सम्बन्धित है बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 223/24 मे धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी तथा बरामद तमंचा व कारतूस के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त साबिर उर्फ आमिर द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 14.5.2024 मैने व मेरे जीजा सद्दाम पुत्र फरीद निवासी कैलासपुर थाना नागल जनपद सहारनपुर ने मिलकर एक मोटरसाईकिल स्पलेंडर को कच्चा 62 फुटा रोड से चोरी की थी मैने व मेरे जीजा सद्दाम ने मिलकर उक्त मोटरसाईकिल को शक्ला पुरी के जंगलो मे खण्डर मे छीपा दी थी बाद मै जब आप लोगो ने मेरे जीजा सद्दाम से मोटरसाईकिल बरामद की तो मै वहाँ से भाग गया था। तथा दिनांक 01.06.2024 को अब्दुल्ला कालोनी खातखेडी में एक मकान से हमने आभूषण चोरी किए थे आज मै चोरी किए गये आभूषणों को बेचने जा रहा था पुलिस द्वारा आभूषण व तमंचे के साथ मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

साबिर उर्फ आमिर पुत्र रहीश उर्फ रईस ,नि0 हालँ पता शफीक का किराये का मकान ,जुल्मगढ थाना मण्डी जिला सहारनपुर व मूल पता नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 जोडी पायल (सफेद धातु)
- 04 अंगूठी (सफेद धातु)
- 01 जोड़ी कुण्डल (पीली धातु)
- 01 जोड़ी बाली (पीली धातु)

अभियुक्त साबिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 0219/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
2. मु0अ0सं0- 0653/17 धारा 307 भादवि थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
3. मु0अ0सं0- 0654/17 धारा 25 आयुध अधि0 थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर
4. मु0अ0सं0- 0427/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना थानाभवन जनपद शामली
5. मु0अ0सं0- 253/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 252/22 धारा 414,465 भादवि थाना कोतवाली दैहात जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 09/15 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 212/22 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 289/13 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 74/11 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0- 57/12 धारा 41/109 द0प्र0स0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 142/11 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0- 253/13 धारा 356/379/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0- 472/14 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0सं0- 196/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0सं0- 223/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0सं0- 173/24 धारा 395,342,412 भादवि थाना सहसपुर जिला देहरादून

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 477 विनोद कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल अवैध देशी शराब, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **अलबाब पुत्र मोहतसीम निवासी खुर्द थाना जनकपुरी सहारनपुर** को सिम्भालका जुनारदार से खुर्द की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 08 प्लास्टिक की अवैध देशी शराब की बोतल (हरियाणा मार्का) व 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अलबाब पुत्र मोहतसीम निवासी खुर्द थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 192/19 धारा 414 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 196/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 08 प्लास्टिक की देशी शराब की बोतल गैर प्रान्तीय (हरियाणा मार्का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 354 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांक: 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा घर से मोबाईल चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाईल व 2050/- रुपये नकद बरामद।

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 11/06/2024 को वादिया मौ0 मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी गयी कि उसके घर तथा पडौसी रईस अहमद पुत्र जहीर अहमद, उदय पुत्र युनूस तथा मौ0 रफी पुत्र हबीब निवासीगण मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के घर से रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा मोबाईल फोन तथा नकदी चोरी की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-228/24 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस पुलिस टीम द्वारा उक्त चोरी की घटना के अनावरण करते हुए विवेचना में प्रकाश में आय़े अभियुक्तगण **(1) समीर पुत्र नावेद निवासी नजदीक बाबू का होटल 30 फुटा रोड़ अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद तथा (2) हबीब पुत्र मौहम्मद सिद्दीकी उर्फ राजा निवासी नजदीक शिव मंदिर वार्ड नं0 49 अशोक विहार 30 फुटा रोड़ अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद** को मुखबिर की सूचना पर कस्बा गंगोह से शामली बस स्टैण्ड के पास खाली पड़े प्लाट से चोरी के मोबाईलो तथा चोरी के नकदी पैसो के साथ गिरफ्तार किये गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 457/411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि जो तीनो फोन तथा पैसे हमसे बरामद हुए बरामद हुए है यह हमने इसी महीने कस्बा गंगोह में मौहल्ला मौहम्मद गौरी मे तीन मकानों मे रात में घर मे घुसकर कुल 06 फोन चोरी किये थे तथा कुछ रूपये चोरी कर लिये थे। जो हमनें आपस में बराबर बराबर बाँट लिये थे। आज हमसे जो तीन फोन व पैसे बरामद हुए है यह वही चोरी के फोन है तथा चोरी के पैसे है तथा तीन अन्य फोन हमने आते जाते राहगीरो को सस्तो दामो मे बेच दिये थे तथा फोन बेचकर तथा चोरी के जो पैसे मिले थे वह हमसे खर्च हो गये है। आज हम दोनो कस्बा गंगोह में चोरी करने के लिए आये थे कि पुलिस द्वारा हमे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. समीर पुत्र नावेद निवासी नजदीक बाबू का होटल 30 फुटा रोड़ अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. हबीब पुत्र मौहम्मद सिद्दीकी उर्फ राजा निवासी नजदीक शिव मंदिर वार्ड नं0 49 अशोक विहार 30 फुटा रोड़ अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरणः-

- 01 सैमसंग ब्लू रंग जिसका IMEI NO- 355690119437951/59
- 01 रियल मी रंग नीला ब्लू रंग जिसका IMEI NO- 865314047004055/48
- 01 मोबाईल MI कम्पनी का रंग काला

➢ 2050/-रुपये नगद (चोरी किए हुए)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर

(1) मु0अ0सं0- 1069/21 धारा 380/411/457 भा.द.वि चालानी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

(2) मु0अ0सं0- 244/23 धारा 380/411 भा.द.वि का अभियोग थाना बागपत जनपद बागपत

(3) मु0अ0सं0-228/24 धारा 380/457/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हबीब

मु0अ0सं0-228/24 धारा 380/457/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लोहे के सरिये व 01 डण्डा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 29.06.2024 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नैत्रपाल सिंह निवासी ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत 6-7 अज्ञात लड़को द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से सरिये लाठी डण्डो से वादी के चचेरे भाई प्रतीक उपरोक्त व प्रतीक उपरोक्त को बचाने आये ठाठ सिंह उपरोक्त के ऊपर हमला करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 211/24 धारा 147/148/149/307/34 भादवि बनाम 6-7 अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2024 को थाना रामपुर मनि0 पुलिस टीम द्वारा विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.रहमान पुत्र इरशाद 2. सोहेल पुत्र साजिद 3. शाकिब पुत्र शमशाद निवासीगण ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को हरपाल के रास्ते पर पीर के पास बरगद के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 02 लोहे के सरिये व 01 लकड़ी का डण्डा बरामद किया गया ।अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 29.06.24 को शाम के समय हम तीनो व हमारे अन्य साथी अकमल पुत्र बाली, इजमाम पुत्र इकराम निवासीगण हरपाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर ग्राम हरपाली अड्डे पर प्रतीक की लाईब्रेरी के सामने स्टंट कर रहे थे तो प्रतीक हमसे स्टंट करने को लेकर कहासुनी करने लगा। उस समय हम वहाँ से चले गये थे। फिर हम सभी थोड़ी देर बाद अपने हाथो मे लाठी डण्डे व सरिये लेकर आये और प्रतीक को सबक सिखाने के लिये उसके ऊपर जान से मारने की नियत से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी बीच मे एक व्यक्ति और आया था उसके भी चोटे लग गयी थी। आज हम तीनो पुलिस से बचने के लिये कहीं जाने की फिराक मे हरपाल वाले रास्ते पर पीर के पास बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे की पुलिस ने हमे पकड़ लिया। और हमारे हाथ मे लिये लाठी डण्डे भी आपने बरामद कर लिये। और तीनो अभियुक्तगण गलती की माफी मांगने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. रहमान पुत्र इरशाद नि0 ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
2. सोहेल पुत्र साजिद नि0 ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।
3. शाकिब पुत्र शमशाद नि0 ग्राम हरपाली थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 लोहे के सरिये
- 01 लकड़ी का डण्डा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 पंकज मिश्रा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1003 सुशान्त सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 647 दीपक कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण **1.जहाँगीर पुत्र इस्लाम निवासी आयशा मस्जिद के पास मानकमाऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर 2. निखिल पुत्र राजकुमार उर्फ पटवारी निवासी रविदास मंदिर प्राइमरी स्कूल के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को मानकमऊ नहर के पास से गिरफ्तार किया गया अभि0 जहाँगीर पुत्र इस्लाम व निखिल पुत्र राजकुमार उपरोक्त पर थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 113/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी है अभियोग की विवेचना प्र0निरी सदर बाजार सहारनपुर द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.जहाँगीर पुत्र इस्लाम निवासी आयशा मस्जिद के पास मानकमाऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

2. निखिल पुत्र राजकुमार उर्फ पटवारी निवासी रविदास मंदिर प्राइमरी स्कूल के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

अभियुक्त जहाँगीर का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 11/23 धारा 380/411 भादवि थाना को0देहात जिला सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 48/23 धारा 414/120बी भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 62/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर,
4. मु0अ0सं0 67/23 धारा 380/411/120बी भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर,
5. मु0अ0सं0 68/23 धारा 380/411/120बी भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर,
6. मु0अ0सं0 101/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर,
7. मु0अ0सं0 374/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर,
8. मु0अ0सं0 439/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर,
9. मु0अ0सं0 443/22 धारा 380/454/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 595/22 धारा 380/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 731/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर पंजीकृत है।
12. मु0अ0स0 113/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।

अभियुक्त निखिल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 48/23 धारा 414/120बी भादवि थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 67/23 धारा 380/411/120बी भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर,
3. मु0अ0सं0 68/23 धारा 380/411/120बी भादवि थाना मण्डी जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 113/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. नि0 श्री सुबे सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक चौरषिया थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
3. का0 1565 विनय थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
4. है0का0 869 सुमित थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
5. का0 चालक 173 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर ।

दिनांक: 30.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर व महिला थाना पुलिस द्वारा खनन माफिया इकबाल उर्फ बाला के विरुद्ध की गयी धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही

अवगत कराना है कि दिनाकं 21.06.2022 को महिला थाना पर वादिनी द्वारा अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व उसके पुत्र अलीशान , जावेद , अफजाल आदि के विरुद्ध स्वय के साथ छेडखानी व बलात्कार व मारपीट के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर महिला थाना पर मु0अ0स0 122/22 धारा 376/323/354क भादवि व 7 / 8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना धारा 376डी/342/120 बी भादवि की बढोत्तरी हुई। मुकदमा उपरोक्त में अभि0 इकबाल उर्फ बाला उपरोक्त अन्तर्गत धारा 376डी/323/342/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त चल रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अभियान चलाया गया अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा महिला थाना प्रभारी बबीता तोमर द्वारा की गयी प्रभारी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज / एम0पी0 एम0एल0ए कोर्ट द्वारा अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी का आदेश जारी किया गया जिसकी तिथि 28.07.2024 नियत की गयी है जिसके सम्बन्ध मे आज दिनाकं 30.6.2024 को महिला थाना प्रभारी व थाना प्रभारी मिर्जापुर बीनू चौधरी द्वारा ढोल नगाडे के साथ नियमानुसार अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के मकान पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 बीनू चौधरी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. प्र0नि0 बबीता तोमर महिला थाना जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
4. उ0नि0 संजीव थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार महिला थाना जिला सहारनपुर
6. हेका0 32 गौरव भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
7. हेका0 400 कर्णवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 30.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.05.2024 को वादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त गण सरफराज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम ढाबा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर आदि के विरुद्ध स्वय की पुत्री के साथ घर में घुसकर बलात्कार करना, गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर दाखिल किया गया था दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 88/24 धारा 376/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 5एल/6 पोक्सो अधि0 की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बीनू चौधरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सरफराज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम ढाबा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को यमुना ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सरफराज पुत्र अख्तर निवासी ग्राम ढाबा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।
2. का0 1176 रवि कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर